न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

निगरानी 809-III/15

1. नारायण सिंह पुत्र कसिया बुनकर
2. श्रीमती यशोश्री पत्नी श्री नारायण बुनकर,
3. बलवीर
4. सुरेन्द्र पुत्रगण श्री नारायण बुनकर
5. श्रीमती जानकी पत्नी श्री बलवीर बुनकर
6. श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री सुरेन्द्र बुनकर,समस्त निवासीगण– ग्राम छितरी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

श्री ... द्वारा आज दि. 16-4-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

——आवेदकगण

विरूद्ध

1. अतरसिंह पुत्र श्री करन सिंह ठाकुर, निवासी– छितरी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. म.प्र. राय द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी

16-4-15

——अनावेदकगण

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार नरवर द्वारा प्रकरण क्र. 31/2013–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 07/04/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 94/1/3 रकवा 1.568 स्थित ग्राम छितरी, आवेदकगण को पट्टे पर प्राप्त भूमि है। बंदोवस्त पश्चात् नया नंबर 274–275 निर्मित हुए।
3. यह कि, सर्वे क्रमांक 275 रकवा 0.52 हेक्टर अनावेदक क्रमांक 1 के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–809–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

नारायण सिंह आदि विरूद्ध अतरसिंह व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 31/2013–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 07–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 24.4.19 सदस्य	